



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 12.03.2026

थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा लूट के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-325/20 धारा-392 भा0द0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रशान्त दूबे पुत्र रणजीत दूबे निवासी रामगढ़ कोठारी थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-12.03.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामगढ़ कोठारी स्थित नहर के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक-30.09.2020 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गतग्राम रामगढ़ कोठारी स्थित नहर पुलिया के पास रिश्तेदारी से आ रहे वादी मुकमदा की बाइक रोकवाकर 03 हजार रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बहरिया पर मु0अ0सं0-325/2020 उपरोक्त

पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रशान्त दूबे पुत्र रणजीत दूबे निवासी रामगढ़ कोठारी थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 32 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-325/20 धारा-392 भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त प्रशान्त दूबे उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-123/16 धारा-3/5 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-325/18 धारा-392/411 भा0द0सं0 थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0-212/19 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0-325/20 धारा-392 भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0-40/23 धारा-174ए भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0-158/23 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 बलवन्त सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 उमेश यादव, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 बालकेश, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. उ0नि0 चन्दन कुमार यादव, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. उ0नि0 गोविन्द दास प्रजापति, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

7. म0उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
8. हे0का0 रामचन्द्र वर्मा, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
9. का0 मनीष यादव, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा अपने ही पुत्र की हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-43/2026 धारा-103(1)/238 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्ता मनोरमा यादव पत्नी संतोष यादव निवासिनी पुरे जयसिंह पिलखनी थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-12.03.2026 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरे जयसिंह पिलखनी के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सीमेन्ट व बालू से निर्मित कोरदार ठोस फर्श का टुकड़ा बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्ता द्वारा दिनांक-11.03.2026 को अपने ही 05 माह के पुत्र की हत्या कर उसके शव को रसोई के घर में छिपा दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सरायममरेज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-43/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक- 11.03.2026 को किसी बात को लेकर अपने पति से लड़ाई-झगड़ा किया गया परन्तु पुत्र को अपने साथ न ले जाने पर क्रोध में आने के कारण सीमेन्ट व बालू से निर्मित कोरदार ठोस फर्श का टुकड़े से अपने पुत्र के पेट में मार कर उसकी हत्या कर दी गयी एवं शव को रसोई के घर में छुपा दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

मनोरमा यादव पत्नी संतोष यादव निवासिनी पुरे जयसिंह पिलखनी थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 25 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-43/2026 धारा-103(1)/238 भा0न्या0सं0 थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

सीमेन्ट व बालू से निर्मित कोरदार ठोस फर्श का टुकड़ा।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 अमरीश कुमार राय, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 संजय यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. म0उ0नि0 शालू कुमारी, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 कमलेश सहानी, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. का0 अनन्त चौधरी, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मुकदमें से सम्बन्धित अपहृत बालक 24 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-56/2026 धारा-137(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सेवालाल बनवासी पुत्र स्व0 हरखू निवासी ग्राम महमलपुर थाना कछवा जनपद मिर्जापुर को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 12.03.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत हनुमानगंज स्थित रामनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक-11.03.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कतवारूपुर से वादी मुकदमा के 07 वर्षीय पुत्र का अहरण कर लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सरायइनायत पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-56/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी मुकदमा के भाई द्वारा अभियुक्त की पुत्री से प्रेम प्रसंग के कारण उसे भगा ले जाया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र का अहरण कर रिस्तेदार के यहां उसे छिपा दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सेवालाल बनवासी पुत्र स्व० हरखू निवासी ग्राम महमलपुर थाना कछवा जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 55 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-56/2026 धारा-137(2) भा०न्या०सं० थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय गुप्ता, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० रामायण सिंह, चौकी प्रभारी हनुमानगंज थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ०नि० उपेन्द्र कुमार तिवारी, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. हे०का० राजीव कुमार पाण्डेय, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. का० विनय कुमार, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना कैण्ट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु०अ०सं०- 45/2026 अन्तर्गत धारा 137(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त राज यादव पुत्र स्व० ओम प्रकाश निवासी 62/52 मऊ सैरैया अशोक नगर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 12.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर टीवी टावर के पास थाना क्षेत्र कैण्ट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 65(1)/87 बी०एन०एस० व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राज यादव पुत्र स्व० ओम प्रकाश निवासी 62/52 मऊ सैरैया अशोक नगर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज उम्र करीब 18 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०- 45/2026 अन्तर्गत 137(2)/65(1)/87 बी०एन०एस० 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. म०उ०नि० प्रिया बाजपेई, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० निखिल यादव, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का० मनीष कुमार, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 72/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट के नामित 02 वांछित अभियुक्त 1. बृजेश कुमार पुत्र कमला 2. कमला पुत्र स्व० रिबोदी व 01 अभियुक्ता सुशीला पत्नी कमला निवासी गण ग्राम ढोढरी थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज को ग्राम ढोढरी थाना क्षेत्र कौंधियारा से आज दिनांक-12.03.2026 को गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-10.03.2026 को वादी बुद्धसेन पुत्र स्व० कल्लू निवासी ग्राम जमुआधूस पो० देवघाट थाना कोरांव प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर दी गयी तहरीर बाबत आरोपीगणों

(पति व ससुरालीजनों) द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर वादी की पुत्री को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करना व दहेज की माँग पूरी न होने पर जान से मारने के सम्बंध में मु0अ0सं0 72/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयास से थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-12.03.2026 को 02 वांछित अभियुक्त 1.बृजेश कुमार पुत्र कमला 2.कमला पुत्र स्व0 रिबोदी व 01 अभियुक्ता सुशीला पत्नी कमला उपरोक्त को थाना क्षेत्र कौंधियारा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता का विवरण-

1. बृजेश कुमार पुत्र कमला निवासी ग्राम ढोढरी थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. कमला पुत्र स्व0 रिबोदी निवासी ग्राम ढोढरी थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 50 वर्ष।
3. सुशीला पत्नी कमला निवासी ग्राम ढोढरी थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 45 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 72/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सच्चिदानंद सिंह, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0उ0नि0 प्रीति कुमारी, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 रविन्द्र कुमार बिन्द, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 आशीष सिंह, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।